अपर सेशन न्यायालय, नाथद्वारा

	आपराधिक अपील संख्या 09/2015 राजेश कुमार बनाम प्रहलाद	
	05.09.2018 : उभयपक्ष के अधिवक्तागण उपस्थित । अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से धारा 309 उपधारा 2 नियम (क) दण्ड़ प्रक्रिया संहिता के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया । अधिवक्ता रेस्पोंडेंट ने प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नहीं करना चाहा । अतः प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस के दौरान तर्क दिये कि 09.03.2018 को 5 प्रार्थना पत्रों पर न्यायालय द्वारा आदेश दिये गये जिनकी पांच निगरानियां माननीय उच्च न्यायालय में पेश की गई है जो रजिस्टर्ड हो चुकी है व आगामी पेशी 11.09.2018 नियत है । प्रकरण में अपीलार्थी के सभी दस्तावेजों को रेकॉर्ड पर लिया जाकर निस्तारण किया जाना है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण की कार्यवाही आगामी पेशी तक बढ़ाने का निवेदन किया। इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट ने तर्क दिये कि अपीलार्थी द्वारा बार बार निरर्थक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाकर प्रकरण को विलम्बित किया जा रहा है । अपील पर धारा 309 सीआर पी सी के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे । उभयपक्ष के तर्कों पर विचार किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपीलार्थी ने हस्तगत प्रार्थना पत्र के माध्यम से इस न्यायालय के आदेश दिनांक 09.03.2018 के विरूद्ध 05 निगरानियां प्रस्तुत करने से आगामी पेशी तक कार्यवाही बढ़ाने का निवेदन किया है । अपीलार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र धारा 309 उपधारा 2 नियम क दण्ड़ प्रक्रिया संहिता के तहत प्रस्तुत किया गया है । इस प्रावधान का अवलोकन करने से पाया जाता है कि धारा 309 के प्रावधान केवल मात्र जांच या विचारण में ही आकर्षित होते हैं जबकि हस्तगत प्रकरण अपील है जो कि न तो जांच है एवं न ही विचारण है । ऐसी स्थिति में धारा 309 दण्ड़ प्रक्रिया संहिता का उक्त प्रावधान हस्तगत प्रकरण में आकर्षित नहीं होता है । ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाया जाता है । अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है । पत्रावली बहस अपील हेतु दिनांक 16.10.2018 को पेश हो ।	